

न्यायालय:-मधुसूदन जंघोल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.-93 / 2009
संस्थित दिनांक 27.02.2009
फाईलिंग नं.-234503001212009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन

// विरुद्ध //

1. विक्की उर्फ विकास पिता दीपक छुटवानी, उम्र-38 वर्ष,
 2. श्रीमति रानी छुटवानी पति दीपक छुटवानी, उम्र-38 वर्ष,
- दोनों निवासी गांधी वार्ड कांच घर झंडा चौक जबलपुर(म.प्र.)

-----आरोपीगण

-:: निर्णय ::-
(दिनांक 16/05/2018 को घोषित किया गया)

01:- उपरोक्त नामांकित आरोपीगण पर दिनांक 09.06.2005 से दिनांक 21.02.2009 तक स्थान वार्ड नंबर-07 कम्पाउन्डरटोला बैहर आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत फरियादिया श्रीमति अंजुलता छुटवानी के पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादिया श्रीमति अंजुलता छुटवानी को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने, इस प्रकार धारा-498ए/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02:- प्रकरण में महत्वपूर्ण में स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03:- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि फरियादी अंजुलता छुटवानी का विवाह करीब 5-6 वर्ष पूर्व आरोपी विक्की उर्फ विकास छुटवानी से हुआ था। आरोपी से उसके दो बच्चे हैं। फरियादी जब से शादी होकर आई थी, उसी समय से उसका पति एवं उसकी सास उसे परेशान करते थे। शादी के समय फरियादी के माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार जेवर सोना-चांदी तथा कम्प्यूटर, हीरो होण्डा मोटर सायकिल, नगदी तथा गृहस्थी का सभी सामान दहेज में दिया था। उसके पश्चात भी फरियादी का पति एवं सास फरियादी से दो लाख रुपये की मांग कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। विवाह के पश्चात भी फरियादी के पिता ने उसके पति को कई बार नगदी रुपये दिये थे, किन्तु आरोपी कहता है कि दो लाख

रुपये नहीं देने पर वह उसे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा। करीब 25 दिन पूर्व उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी और उसे जबलपुर ले जाकर उसके मायके में छोड़ दिया था। आरोपी का पड़ोस की दूसरी लड़की के साथ अनैतिक संबंध है और वह उस लड़की से विवाह करना चाहता है। आरोपी उसे तथा उसके माता-पिता एवं भाई को फोन पर रुपये लेकर आने की धमकी देता है। घटना के उपरांत फरियादी ने पुलिस थाना बैहर में घटना की रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बैहर में अपराध क्रमांक 14/09 अंतर्गत धारा-498ए/34 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:- आरोपीगण ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फसाया गया है। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05:-प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:-

1.क्या आरोपीगण ने दिनांक 09.06.2005 से दिनांक 21.02.2009 तक स्थान वार्ड नंबर-07 कम्पाउन्डरटोला बैहर आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत फरियादिया श्रीमति अंजुलता छुटवानी के पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादिया श्रीमति अंजुलता छुटवानी को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार कारित किया ?

-:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01:-

06:- अंजुलता अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। आरोपी विक्की उसका पति है तथा रानीबाई उसकी सास है। उसकी शादी सामाजिक रिती रिवाज अनुसार 14 अप्रैल, 2003 को हुई थी। उसे शादी के तुरंत बाद से ही उसके पति एवं सास दहेज के लिये प्रताड़ित करते रहते थे।

उसके पिता ने उसे शादी में सोना, चांदी के जेवर व मोटर सायकिल एवं नगदी पैसा दहेज में दिया था, उसके बाद भी उसे आरोपीगण द्वारा दो लाख रुपये मांग को लेकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसके पति आये दिन उसे हाथ-मुक्कों से मारपीट कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दो लाख रुपये नहीं देने पर उसके पति उसे मायके में छोड़कर आ गये। उसे बाद में पता चला कि उसका पति पड़ौस की गोल्डी ठाकुर नामक लड़की को लेकर भाग गया था। उसके कुछ दिन बाद फिर आरोपी ने पैसे नहीं लाने पर परेशान करने की धमकी दिया, तब उसने जबलपुर से बैहर आकर दिनांक 21.02.2009 को प्र.पी.01 की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

07:— अंजुलता अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी उसे मारपीट कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, किन्तु प्रकरण में फरियादी अंजुलता की कोई मेडिकल रिपोर्ट संलग्न नहीं है। फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पंजीबद्ध करना बताया है, जिसमें भी उसने रिपोर्ट के 25 दिन पूर्व मारपीट करना बताया है, किन्तु मुख्यपरीक्षण में साक्षी ने उक्त मारपीट के बारे में नहीं बताया है। यदि आरोपी द्वारा फरियादी अंजुलता से मारपीट की गई होती तो उसके शरीर पर अवश्य ही उपहति या चोट के निशान होते और विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता, किन्तु विवेचना के दौरान आहत का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया है, जिससे मात्र मौखिक रूप से मारपीट की बात कहने का कथन विश्वास योग्य नहीं है।

08:— अंजुलता अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसके पुलिस कथन प्र.पी.01 में आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात लेखबद्ध नहीं है। इस साक्षी ने मानसिक रूप से प्रताड़ना की बात भी कही है, किन्तु आरोपीगण उसे मानसिक रूप से प्रताड़ना हेतु कौन सा व्यवहार करते थे, ऐसी कौन-सी बात या उलाहना या ताना देते थे, जिससे फरियादी को मानसिक रूप से क्लेश होता था, ऐसे किसी कथन या व्यवहार के बारे में नहीं बताया है, जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ना का तथ्य प्रकट नहीं होता है।

09:— अंजुलता अ.सा.01 ने बताया है कि उसका विवाह 14 अप्रैल, 2003 को हुआ था। शादी के तुरंत बाद आरोपीगण उसे दहेज के लिये परेशान करते

थे। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवाह के 6—7 वर्ष बाद उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने आरोपीगण से विवाद के विषय में पूर्व में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। इस प्रकार वर्ष 2003 में विवाह होने और उसके तुरंत बाद से दहेज की मांग किये जाने के बावजूद फरियादी द्वारा तत्परता से प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं की गई, बल्कि 06 वर्षों बाद वर्ष 2009 में रिपोर्ट की गई। फरियादी ने रिपोर्ट विलंब से किये जाने का कोई कारण नहीं बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दहेज मांग जाने तथा मारपीट तथा कूरता का कोई विशिष्ट समय दिनांक व स्थान भी नहीं बताया गया है। न्यायदृष्टांत राजकुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2014 क्रि.लॉ.ज.2630 राजस्थान के मामले में भी यह अवधारित किया गया है कि जहाँ शिकायत पांच वर्ष उपरांत की गई हो और विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, वहाँ अभियोजन का मामला संदिग्ध होता है।

10:— इस प्रकरण में भी फरियादी अंजुलता के अनुसार वर्ष 2003 में विवाह होने के उपरांत दहेज की मांग आरोपीगण द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने दिनांक 21.02.2009 को अर्थात् लगभग 06 वर्ष उपरांत की है। यदि आरोपीगण परिवादी के साथ दहेज की मांग को लेकर अथवा अन्यथा कूरता कर रहे थे, तो परिवादी को घटना की युक्तियुक्त अवधि के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना था और यदि दर्ज नहीं कराया गया हो तो उसका पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब का कारण परिवार परामर्श लेखबद्ध है, किन्तु उसके संबंध में परिवादी अंजुलता ने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं किया है और ना ही समझौता का प्रयास हुआ हो इस संबंध में परिवार परामर्श केन्द्र या सामाजिक बैठक आदि का कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, जिससे भी अत्यधिक विलंब के कारण भी अभियोजन का मामला संदिग्ध होता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत साधना यादव बनाम देवेन्द्र कुमार 2014 (1) म.प्र. विकली नोट 134 मध्यप्रदेश अवलोकनीय है एवं उपरोक्त विवेचना से आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता।

11:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर

है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 09.06.2005 से दिनांक 21.02.2009 तक स्थान वार्ड नंबर-07 कम्पाउन्डरटोला बैहर आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत फरियादिया श्रीमति अंजुलता छुटवानी के पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादिया श्रीमति अंजुलता छुटवानी को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार कारित किया। फलतः आरोपीगण को धारा-498ए/34 भा.दं.वि. के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

12:- आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13:- आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहे हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी विक्की उर्फ विकास दिनांक 01.07.2015 से 03.07.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है।

14:- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही / -
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / -
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)